न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/255/2014

उनवान

1. विवेक कुमार आत्मज ओम प्रकाश पारीक निवासी बनेडा, हाल सी–209 सुभाषनगर, भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. गोपाल प्रसाद आत्मज स्व0 शंकर प्रसाद व्यास, निवासी सावा, तहसील एवं जिला चित्तोडगढ, हाल निवासी 91, रॉयल बंगलो, सुखलिया इन्दौर (मध्यप्रदेश)
2. शिवप्रसाद उर्फ शिवदयाल व्यास आत्मज स्व0 शंकर प्रसाद व्यास निवासी सावा तहसील व जिला चित्तोडगढ
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाडा

रेस्पोडण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा के
प्रकरण संख्या 1376/2013 निर्णय दिनांक 27.10.2014

अधिवक्तागण :–

1. श्री ~~दीपक कोठारी~~, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री रामपाल शर्मा, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 25.6.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त उनवान का एक वाद पत्र प्रस्तुत किया है जो काफी ठोस आधारों पर आधारित होने से अवश्यमेव स्वीकार होगा । राजस्व ग्राम रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाडा में हाल आराजी नम्बर 54/1 रकबा 3 बीघा 05 बिस्वा स्थित है जो वर्तमान में

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

राजस्व रिकार्ड में मृतक सीता देवी व्यास पत्नी जगदीश चन्द्र व्यास के नाम पर दर्ज है लेकिन प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 01 के समान कब्जेकाश्त में है। प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 तथा मृतक सीता देवी व्यास के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है :–

शंकर प्रसाद जी व्यास (फौत)

मु0 गुलाबी बाई(बेवा) (फौत) | शिवप्रसाद (विपक्षी सं0 1) | जगदीश (फौत) | गोपाल प्रसाद (प्रार्थी)

जगदीश (फौत) → मु0सीता देवी (पत्नी) बेवा

प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 तथा मृतक सीता देवी के परिवार के मूल पुरूष शंकर प्रसाद जी थे, जिनकी मृत्यु के समय उनके दो पुत्र प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 तथा शंकर प्रसाद जी की धर्म पत्नी गुलाबी बाई तथा शंकर प्रसाद जी के पूर्व मृत पुत्र की पत्नी मु0 सीता देवी जीवित होकर उत्तराधिकारी शेष रहे थे। श्री शंकर प्रसाद जी का देहावसान आज से करीब 25 वर्ष पूर्व हो गया तथा शंकर प्रसाद जी के एक पुत्र जगदीश जी का देहावसान शंकर प्रसाद जी की मृत्यु से पूर्व हो गया था। शंकर प्रसाद जी के पूर्व मृत पुत्र जगदीश की पत्नी मु0 सीता देवी व्यास का देहावसान दिनांक 17.6.2013 को हो गया । सीता देवी ला औलाद फौत हो गई तथा सीता देवी के प्रथम श्रेणी का कोई भी वारिस वर्तमान में जीवित नहीं है तथा सीता देवी एवं उनके पति जगदीश जी के कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई थी। प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 मृतक सीता देवी के जेठ एवं देवर होकर सीता देवी के पति स्व0 जगदीश प्रसाद के भाई है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 के अनुसार हिन्दु नारी की निर्वसियति मृत्यु होने पर धारा (2) (ख) के अनुसार पति या अपने ससुर की विरासत

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

से प्राप्त जायदाद का न्यायगत उसकी मृत्यु के उपरान्त उसके पति के वारिसों के होने बाबत प्रावधान करती है तथा पति के वारिस हेतु वर्ग 02 में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 01 केवल भाई ही वर्तमान में जीवित है ।

उपरोक्त वर्णित आराजी मृतक सीतादेवी व्यास के अपने ससुर शंकर प्रसाद जी की विरासत से उनके पूर्व मृतपुत्र जगदीश जी के फुटस्टेप पर ससुर जी से विरासत में प्राप्त हुई थी और ऐसी परिस्थिति में प्रार्थना पत्र में वर्णित जायदाद धारा 15 हिन्दु उत्तराधिकारअधिनियम के अनुसार प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 में मु0 सीतादेवी की मृत्यु के बाद उसके मृतक पति के वारिसान में न्यायगत चाहिये। प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 01 सीता देवी की मृत्यु के बाद उसके मृतक पति के वारिस ही जीवित रहने से उत्तराधिकार में प्रार्थना पत्र में अंकित जायदाद कानूनन प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 01 में समान तौर पर न्यायगत होनी चाहिये और प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 01 मृतक सीता देवी के नाम दर्ज रिकार्ड आराजी संख्या 54/1 के खातेदार काश्तकार हैं। विपक्षी संख्या 02 अपने आपको मृतक सीता देवी का स्वयं भू वारिस बताकर उक्त वर्णित जायदाद को अपने नाम पर करवाने हेतु चाराजोही कर रहा है। प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 01 ने संयुक्त रूप से उक्त आराजियात को कानूनन अपने नाम उत्तराधिकार से कराने हेतु दिनांक 24.6.2013 को एक आवेदन भीलवाडा में विपक्षी संख्या 3 के यहॉ प्रस्तुत किया। तहसीलदार, भीलवाडा द्वारा उक्त आवेदन को जांच हेतु पटवारी हल्का को भिजवाया गया । पटवारी हल्का द्वारा यह अवगत कराया गया कि विपक्षी संख्या 02 ने मु0 सीता देवी का अपने आपको स्वयं भू वारिस बता विरासत से आराजी अपने नाम कराने हेतु आवेदन कर दिया है। विपक्षी संख्या 02 सीता देवी के भाई का लडका है तथा मु0 सीता देवी राजकीय सेवा में कार्यरत थी और कार्यरत रहने के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

दौरान ही कैंसर की गम्भीर बीमार से पीडित रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई तथा उसके सेवा काल के सेवा लाभ प्राप्ति हेतु भी विपक्षी संख्या 2 ने अपने स्तर पर प्रयास गलत तौर पर वारिस बता प्रारंभ कर दिये हैं। विपक्षी संख्या 02 ने प्रार्थी को यह ऐलानी धमकी दी है कि वह येन केन प्रकारेण उक्त जायदाद को अपने नाम पर करा शक्तिशाली खरीददार या एस0सी0एस0टी0 जाति के खरीददार को दूसरे ही दिन प्रार्थी को उसके हक अधिकार से महरूम करने की गरज से विक्रय कर देगा तथा उक्त खरीददार शक्ति के बल पर बेदखल कर कब्जा कर लेगा । ऐसी परिस्थिति में प्रार्थी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि विपक्षीगण के विरूद्ध मु0 सीता देवी के नाम दर्ज आराजियात के बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी का प्रथमदृष्टया मामला होकर सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है । मूल वाद के निस्तारण में समय लगेगा और विपक्षी संख्या 02 फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज के आधार पर वादग्रस्त आराजियात को राजस्व रेकार्ड में अपने नाम पर दर्ज करा खुर्द बुर्द करने एवं प्रार्थी व विपक्षी संख्या 01 को बेदखल करने पर आमादा है। जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। यदि वादग्रस्त आराजियात राजस्व रेकार्ड में विपक्षी संख्या 02 के नाम पर दर्ज हो जाती है और विपक्षी संख्य 2 उसे किसी भी प्रकार से अंतरित या खुर्द बुर्द कर देता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसका मूल्यांकन संभव नहीं है। इस कारण विपक्षी संख्या 02 व 03 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक है कि वे मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थना पत्र के कॉलम संख्या 02 में अंकित ग्राम रूपाहेली की वादग्रस्त आराजी संख्या 54/1 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा के राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे । राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

रद्दोबदल नहीं करे तथा वादग्रस्त आराजी को किसी भीप्रकार से विपक्षी संख्या 2 खुर्द बुर्द या अन्तरित नहीं करें न ही वादग्रस्त आराजी के उपयोग उपभोग में प्रार्थी के समक्ष किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी ने अपने अभिवचनों के समर्थन में स्व0 सीता देवी पारीक द्वारा उसे गोद लिये जाने बाबत निष्पादित एवं पंजीबद्ध कराये गये गोदपत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है। इसके अलावा अपीलार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष स्व0 सीतादेवी द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में दिनांक 8.9.2012 को निष्पादित वसीयत भी प्रस्तुत कर निवेदन किया हुआ है कि अपीलार्थी ही स्व0 श्रीमती सीता देवी पारीक का एकमात्र उत्तराधिकारी है। यह दोनों दस्तावेज किसी भी सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त अथवा अवैध घोषित नही किये गये हैं। हिन्दु दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम की धारा 16 के अनुसार पंजीकृत गोदनामे के सही माने जाने की अवधारणा है। इन दस्तावेजों का कोई खण्डन अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर प्रत्यर्थी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। केवलमात्र गोदपत्र एवं वसीयतपत्र को चुनौति देने का वाद विचाराधीन होने से इन दोनों दस्तावेजों के प्रभाव को

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

समाप्त होना नहीं माना ज सकता है। अतः प्रकरण के प्रथम दर्शनीय होने के बिन्दु पर प्रत्यर्थी संख्या 01 की तुलना में अपीलार्थी का पक्ष प्रबल होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय के द्वितीय पृष्ठ पर अंतिम पैरे में सर्वथा अनुचित एवं अवैध निर्णय इस प्रकार प्रदान कर दिया कि '' प्रत्यर्थी संख्या 1 ने वसीयतनामा एवं गोदनामे को शून्य घोषित कराने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया हुआ है, अतः अपीलार्थी के पक्ष में पंजीकृत गोदनामा एवं उसके पक्ष में वसीयत निष्पादित होने के बावजूद भी उसे उत्तराधिकारी नहीं माना जा सकता । '' वस्तुतः अधिनस्थ न्यायालय को निर्णय यह करना था कि अपीलार्थी के पक्ष में स्व0 श्रीमती सीतादेवी पारीक द्वारा निष्पादित एवं पंजीकृत गोदनामा पत्रावली में उपलब्ध है एवं स्व0 श्रीमती सीता देवी पारीक द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित वसीयत पत्र भी पत्रावली में उपलब्ध है और इन्हें किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है, अतः अपीलार्थी स्व0 श्रीमती सीता देवी पारीक का प्रथमदृष्टया उत्तराधिकारी होने से प्रत्यर्थी संख्या 1 किसी प्रकार की कोई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का पात्र एवं अधिकारी नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने ऐसा निर्ण करने के बजाय यह अवैध अनुचित एवं गलत निष्कर्ष निकाल दिया कि अपीलार्थी के विरूद्ध गोद पत्र एवं वसीयतपत्र को निरस्त कराये जाने का वाद विचाराधीन है, अतः अपीलार्थी को स्व0 श्रीमती सीतादेवी पारीक का उत्तराधिकारी नहीं माना जा सकता। अधिनस्थ न्यायालय का यह निर्णय अनुचित, मनमाना, अवैध एवं गलत होकर अपास्त किये जाने योग्य है।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी स्व0 सीतादेवी पारीक के जीवनकाल से ही सीतादेवी के जीवनपर्यन्त सीतादेवी के साथ वादग्रस्त कृषि भूमि पर कृषि एवं काश्त करता आ रहा है। सीतादेवी के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.) सत्यमेव जयते

निधन के उपरान्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर अपीलार्थी का भौतिक कब्जा, उपयोग उपभोग एवं काश्त चली आ रही है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त कृषि भूमि के आधिपत्य एवं काश्त बाबत दस्तावेज शपथ पत्र पेश होना, अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 15.10.2014 के अनुसार ही अवशेष था, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए दिये गये अवसर की स्टेज पर, दस्तावेज प्राप्त कर गुणागवुण पर निर्णय करने के बजाय अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए की गई सुनवाई पर अंतिम निषेधाज्ञा का आदेश प्रदान कर दिया । अतः इस अपील के साथ वादग्रस्त कृषि भूमि पर अपीलार्थी का आधिपत्य, कब्जा एवं काश्त होने के प्रमाण में कृषि भूमि के पडौसियों के शपथ पत्र प्रस्तुत हैं। वादग्रस्त कृषि भूमि पर भौतिक आधिपत्य, कब्जा एवं काश्त तथा उपयोग उपभोग अपीलार्थी का ही चला आ रहा है। अतः इस आधार पर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश अवैध, मनमाना एवं निरंकुश होने से निरस्त किये जाने योग्य है तथा पत्रावली पर विधिवत पूर्ण सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर आदेश के लिए अधिनस्थ न्यायालय को प्रेषित किये जाने योग्य है।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि यहाँ यह भी निवेदन करना उचित एवं समुचित है कि स्व0 श्रीमती सीतादेवी के उत्तराधिकारी होने के आधार पर एवं अपीलार्थी के पक्ष में मृतक सीता देवी पारीक द्वारा उसके सेवा अभिलेखों में किये गये नाम निर्देशन के आधार पर सीतादेवी के स्थान पर अपीलार्थी को राजकीय सेवा मिली है तथा मृतक सीतादेवी के निधन के उपरान्त देय समस्त हितलाभ भी अपीलार्थी को राज्य सरकार द्वारा दिये गये हैं। अतः इस आधार पर भी अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.) सत्यमेव जयते

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए प्रकरणको गुणागुवण पर निस्तारण करने के लिए अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जावे ।

7. प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं 2 के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि मृतक जगदीश चन्द्र प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 का भाई है एवं मृतक जगदीश चन्द्र की पत्नि सीता देवी का देवर व जेठ होने से वारिस हेतु वर्ग 02 में वारिस होने से प्रथमदृष्टया मामला प्रत्यर्थीगण के पक्ष में बनता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, रेकार्ड का अवलोकन करने के उपरान्त गुणावगुण के आधार पर जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

8. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अधिनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर ग्राम रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाडा की वादग्रस्त आराजी नम्बर 54/1 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा में दर्ज मु0 सीता देवी पत्नी जगदीश के हिस्से की खातेदारी की आराजियात पर मूल वाद तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु निवेदन किया । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 12.8.2013 को दर्ज रजिस्टर करने के उपरान्त प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनकर अन्तरिम स्थगन आदेश दिया गया । विपक्षी संख्या 1 की ओर जवाब प्रस्तुत होने के उपरान्त उभयपक्ष की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनी जाकर दिनांक 27.10.2014 को पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन कर गुणावगुण पर विस्तृत निर्णय पारित किया

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

परन्तु सहवन से आदेशिका दिनांक 15.10.2014 को अंकित किया गया कि प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत बहस सुनी गई। इसका आशय यह नहीं है कि अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई हो। अंतरिम स्थगन तो दिनांक 12.8.2013 को प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनने के उपरान्त जारी किया गया था। उभयपक्ष की उपस्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनने के दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त प्रकरण में प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु पर विवेचन कर मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपीलाधीन विस्तृत आदेश पारित किया है।

9. अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया । जमाबंदी संवत 2068 से 2071 में सीता देवी बेवा जगदीश चन्द्र (व्यास) ब्राह्मण साकिन भीलवाडा दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी शंकर प्रसाद व्यास के मृत पुत्र का भाई होकर मु0 सीता देवी के पति जगदीश चन्द्र का भाई है। मृतक सीता देवी के लाऔलाद फौत हो जाने पर से उसके पति के वारिस हेतु वर्ग 02 में प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं 2 केवल भाई ही वर्तमान में जीवित है। जबकि अपीलार्थी 02 ने सीता देवी के भाई का लडका होने के आधार पर एवं सीता देवी के वसीयतनामा दिनांक 8.9.2012 एवं गोदनामा दिनांक 5.2.2013 के आधार पर सीता देवी का वारिस होने का कथन किया है। प्रत्यर्थी संख्या 1 के अनुसार वसीयतनामा एवं गोदनामा के संबंध में प्रत्यर्थी की ओर से वसीयतनामा तथा गोदनामा को शून्य एवं अवैध घोषित कराने हेतु माननीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश संख्या 03 में मूल वाद संख्या 73/13 ई0 दी0 उनवान

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

कार्यालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ भीलवाड़ा (राज.) ★ सत्यमेव जयते

गोपाल प्रसाद बनाम विवेक कुमार व अन्य तथा एक प्रार्थना पत्र 31/2013 मु0 दी0 पेश किया है जो जेर कार्यवाही है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी विवेक कुमार के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 8.9.2012 एवं गोदनामा दिनांक 5.2.2013 की वैधानिकता के संबंध में निर्णय होने तक अपीलार्थी का मु0 सीता देवी का वारिस होना तय नहीं किया जा सकता है। वादग्रस्त आराजियात सीता देवी बेवा जगदीश चन्द्र व्यास ब्राह्मण साकिन भीलवाडा के नाम दर्ज है। उक्त वादग्रस्त आराजियात मृत जगदीश चन्द्र व्यास की विरासत से सीता देवी को प्राप्त हुई है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बाद विवेचन निर्णय में अंकित किया है कि जगदीश चन्द्र की पैतृक आराजियात होने से एवं सीता देवी की स्वअर्जित नहीं होने से एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 मृतक जगदीश चन्द्र व्यास का भाई होने से एवं सीता देवी के देवर व जेठ होने से पति के वारिस हेतु वर्ग 02 में प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 होने के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है । चूंकि उक्त भूमि मृतक जगदीश चन्द्र व्यास की होने से एवं प्रत्यर्थी/प्रार्थी जगदीश चन्द्र का भाई होने एवं सीता देवी का देवर होने के आधार पर वादग्रस्त आराजी के उपयोग उपभोग करने से सुविधा का संतुलन भी प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है। प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रार्थी की पैतृक भूमि होने से एवं अपीलार्थी/विपक्षी संख्या 1 द्वारा उसके पक्ष में तैयार वसीयतनामा, गोदनामा के आधार पर वादग्रस्त आराजियात को अपने नाम पर दर्ज कर खुर्द बुर्द , विक्रय, हस्तान्तरित करने की स्थिति में अपूर्णीय क्षति भी प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रार्थी को ही होना साबित होता है। उभयपक्षकारान की बहस सुनने व अपीलाधीन आदेश पर मनन करने के उपरान्त वाद बहुलता के दृष्टिगत उपरोक्तानुसार विवेचन को नियमानुसार पाते हैं, तथा विद्वान

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अधिनस्थ न्यायालय के निर्णयय को यथावत रखा जाना उचित समझते हैं।

10. यद्यपि अपीलार्थी का यह कथन कि स्व0 श्रीमती सीतादेवी के उत्तराधिकार होने के आधार पर एवं अपीलार्थी के पक्ष में मृतक सीता देवी पारीक द्वारा उसके सेवा अभिलेखों में किये गये नाम निर्देशन के आधार पर सीतादेवी के स्थान पर अपीलार्थी को राजकीय सेवा मिली है तथा मृतक सीतादेवी के निधन के उपरान्त देय समस्त हितलाभ भी अपीलार्थी को राज्य सरकार द्वारा दिये गये हैं। परन्तु चूंकि अपीलार्थी के पक्ष में स्व0 सीता देवी पत्नि जगदीश चन्द्र व्यास द्वारा निष्पादित गोदनामा एवं वसीयनामा के संबंध प्रत्यर्थी की ओर से वसीयतनामा तथा गोदनामा को शून्य एवं अवैध घोषित कराने हेतु माननीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश संख्या 03 में मूल वाद संख्या 73 / 13 ई0 दी0 उनवान गोपाल प्रसाद बनाम विवेक कुमार व अन्य तथा एक प्रार्थना पत्र 31 / 2013 मु0 दी0 पेश किया है जो जैर कार्यवाही है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी विवेक कुमार के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 8.9.2012 एवं गोदनामा दिनांक 5.2.2013 की वैधानिकता के संबंध में निर्णय होने तक अपीलार्थी का मु0 सीता देवी का वारिस होना तय नहीं किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, एवं प्रत्यर्थी की ओर से वसीयतनामा तथा गोदनामा को शून्य एवं अवैध घोषित कराने हेतु माननीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश संख्या 03 में विचाराधीन दावे के मध्यनजर गुणागवुण के आधार पर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.) सत्यमेव जयते

11. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.10.2014 को यथावत रखा जाता है।

12. निर्णय आज दिनांक 25.6.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

25/6/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा